

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

04 SEP 2019

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक


::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	हेमन्त कुमार धन्दे कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर।	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आर.जे.एस.) मुख्य परीक्षा
2.	अमित चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	U.P.S.C. द्वारा आयोजित Asst. Legal Advisor की परीक्षा में भाग लेने हेतु।


शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।


4-9-19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


4-9-19
संयुक्त शासन सचिव